



# उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

website : <http://www.upavp.com>, e-mail : upavp@sancharnet.in

पत्र संख्या—2444 / एल०ए०सी० / एच०क्य०

## नोटिस

दिनांक — 19.03.2013

**उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या—1, 1966) की धारा—28 के अन्तर्गत नोटिस।**

महोबा शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद—महोबा में “बांदा रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या—1” जिला महोबा बनाई गयी है। इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत हैं:-

**उत्तर :** खसरा संख्या 1130 भाग, 1286, 1289 तथा नहर का भाग ग्राम, परगना, तहसील व जिला महोबा।

**पूरब :** खसरा नं—1290 भाग, 1317, 1316, 1314, 1324, 1325, 1328, 1306, 1396 ग्राम, परगना, तहसील व जिला महोबा।

**दक्षिण :** महोबा, बांदा, कानपुर रोड एन०एच०—76 खसरा संख्या 1394 ग्राम, परगना, तहसील व जिला महोबा।

**पश्चिम :** खसरा संख्या 1376 (नहर), 1243, 1244, 1245, 1246, 1235, 1234, 1233, 1150 ग्राम परगना, तहसील व जिला महोबा।

यह घोषणा की जाती है कि जब परिषद की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की ऐसी भूमि, जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा तो, योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भूमि के स्वामी अथवा उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आसुधार शुल्क उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण इकाई महोबा, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नवीन कलेक्ट्रेट परिसर महोबा में ली जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल व अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से सही—सही अंकित होने चाहिए।

इस नोटिस के उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से संबंधित आपत्तियां कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ तथा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण इकाई उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नवीन कलेक्ट्रेट परिसर महोबा में ली जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल व अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से सही—सही अंकित होने चाहिए।

**आवास आयुक्त**

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए  
**जन सुविधा केन्द्र**

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज कर सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

**डायल करें**

1800-180-5333 (टेलफ़ोन)

0522-2236803